न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– राकेश कुमार रजक
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–137/2026
शेखोपुरसराय थाना कांड सं0–35/2026
बिहार राज्य बनाम् मुकेश कुमार।

मुकेश कुमार, पे0–राजेन्द्र प्रसाद, उम्र लगभग 34 वर्ष
साकिन–पांची, थाना–शेखोपुरसराय, जिला–शेखपुरा .... आवेदक।

वनाम

बिहार सरकार .... विपक्षी।

आवेदक की ओर से : श्री लालु कुमार यादव, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से : श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

आ दे श

10.03.2026 अभियुक्त मुकेश कुमार की ओर से इनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28.02.2026 को प्राथमिकी व जप्ती सूची की छायाप्रति के साथ नवीन वकालतनामा सह अग्रिम जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया गया है, जो कि शेखोपुरसराय थाना कांड सं0–35/2026 अंतर्गत धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लम्बित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतया निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा किसी भी न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु या नियमित जमानत हेतु आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध इस केस के अलावा पूर्व में अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जो कि आवेदक पर लागू नहीं होता है। आवेदक के पास से किसी तरह का कोई अवैध सामान बरामद नहीं किया गया है, सिर्फ शंका के आधार पर आवेदक का नाम जोड़ा गया है। आवेदक को उक्त शराब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आवेदक एक गरीब आदमी है, जो मेहनत मजदूरी कर अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आवेदक को पुलिस गिरफ्तारी का भय बना हुआ है। आवेदक को अगर श्रीमान के द्वारा अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाती है तो कभी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा न्यायालय के हर आदेश को पालन करेगा। अतः इनको अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का पूरजोर विरोध किया गया एवं कथन है कि घटनास्थल से भारी मात्रा में 27.000 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। साथ ही इनका अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः इनका अग्रिम जमानत पत्र खारिज किया जाए।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– राकेश कुमार रजक
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–137/2026
शेखोपुरसराय थाना कांड सं0–35/2026
बिहार राज्य बनाम् मुकेश कुमार।

लगातार

10.03.2026 उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला है कि शेखोपुरसराय थाना दिनांक–19.02.2026 को समय करीब 10:30 बजे अवैध शराब के विरूद्ध छापामारी में सशस्त्र बल के साथ सरकारी वाहन से थाना से प्रस्थान कर थानाक्षेत्र में भ्रमणशील थे कि वरीय पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम पॉची में मुकेश प्रसाद, पे0–राजेन्द्र प्रसाद, सा0–पॉची, थाना–शेखोपुरसराय, जिला–शेखपुरा अपने बधार खेत में बोरींग पर अवैध अंग्रेजी शराब की बिक्री कर रहा है। तुरंत छापामारी करने पर पकड़ा सकता है। निर्देशानुसार सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई में प्रस्थान कर समय करीब 11:20 बजे ग्राम पॉची पहुंचे तथा महाल चौकीदार को साथ लेते हुए मुकेश प्रसाद, पे0–राजेन्द्र प्रसाद के बधार खेत में स्थित बोरींग के पास पहुचे तो पुलिस बल को देखते ही एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ने का काफी प्रयास किया गया, परन्तु वह व्यक्ति भागने में सफल रहा। छापामारी दल को देखकर कुछ लोग इकट्ठा हो गये थे, उन लोगों से स्वतंत्र गवाह बनने का अनुरोध किया ताकि मुकेश प्रसाद, पे0–राजेन्द्र प्रसाद के खेत की तलाशी ली जा सके, लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। मजबुरन छापामारी दल में शामिल सशस्त्र बल को गवाह मानकर तलाशी नियमों का विधिवत पालन करते हुए नियमानुसार उनके खेत में स्थित बोरींग वाले कमरे की तलाशी लेने पर तीन अलग–अलग बोरा में रखा कुल तीन कार्टून अंग्रेजी शराब (Royal Green Whisky) प्रत्येक कार्टून में 12 बोतल, प्रत्येक बोतल में शराब की मात्रा–750 एम0एल0। प्रत्येक बोतल पर बैच नं0–164 निर्माण तिथि–दिसम्बर, 25 अंकित था। कुल अंग्रेजी शराब की मात्रा–27.000 लीटर बरामद हुआ, जिसे विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया। विधिवत नियमों का पालन करते हुए बरामद प्रदर्श को जप्ती सूची तैयार कर अंकित एवं जप्त किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध घटनास्थल से भारी मात्रा में 27.000 लीटर अंग्रजी शराब बरामद होने का आरोप है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक के विरुद्ध बिहार निषेध उत्पाद अधिनियम, 2016 के धारा 76(2) के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482 लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– राकेश कुमार रजक
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–137/2026
शेखोपुरसराय थाना कांड सं0–35/2026
बिहार राज्य बनाम् मुकेश कुमार।

लगातार

10.03.2026 नहीं दी जा सकती है।

अतः तद्नुसार आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायहित में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए आवेदक की ओर से दाखिल उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 10.03.2026

Date of Judgment/ Order	10.03.2026
Date of Reserving Judgment/Order	10.03.2026
Uploading Date	11.03.2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary.